

झारखण्ड सरकार
पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग,
ई-10, सेक्टर-II, धुर्वा,
झारखण्ड, राँची।

(email-scbcjharkhand@gmail.com फोन न0-0651-2441790)

पत्रांक :- 257/दि०

राँची, दिनांक :- 19/06/2025

इच्छा की अभिव्यक्ति (EXPRESSTION OF INTEREST)
अतिअल्पकालिन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

झारखण्ड राज्य के नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिये जाने की पात्रता की समीक्षा करने के उद्देश्य हेतु झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या-2508 दिनांक-04.07.2023 द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग Dedicated Commission के रूप में अधिसूचित है।

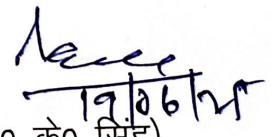
2. राज्य के सभी नगर निकायों में 5 (पाँच) विहित प्रपत्रों में डोर-टू-डोर सर्वे का कार्य किया गया है। सर्वे में प्राप्त आंकड़ों/रिपोर्ट का अध्ययन कर आयोग के मार्गदर्शन में समग्र रिपोर्ट तैयार करना है।

3. रिपोर्ट हिन्दी भाषा में तैयार किया जायेगा। रिपोर्ट तैयार करने की समय-सीमा कार्यादेश जारी होने के 45 दिनों के अन्दर होगी। AGENCY के चयन की प्रक्रिया मुख्यतः तकनीकी एवं वित्तीय बीड पर आधारित होगी।

4. समग्र प्रतिवेदन तैयार करने हेतु IIM, Ranchi, XISS, Ranchi, XLRI, Jamshedpur, St. Xavier's College, Ranchi, एवं झारखण्ड राज्य में स्थित अन्य विश्वविद्यालय, शोध संस्थान एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

5. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 01.07.2025 को अपराह्न 05:00 बजे तक होगी।

6. इच्छा की अभिव्यक्ति का दस्तावेज आयोग के वेबसाइट <https://jharkhand.gov.in/scbc> के अंतर्गत Tenders & Corrigendum मेन्यू से Download किया जा सकता है।


(के० के० सिंह)
सदस्य सचिव।

झारखण्ड सरकार
पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग,
ई-10, सेक्टर-II, धुर्वा,
झारखण्ड, राँची।

(email-scbcjharkhand@gmail.com फोन न0-0651-2441790)

पत्रांक :- 257/19/0

राँची, दिनांक :- 19/06/2025

अतिअल्पकालिन पुनर्निविदा

इच्छा की अभिव्यक्ति (EXPRESSTION OF INTEREST)

(i) भूमिका :-

झारखण्ड राज्य के नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिये जाने की पात्रता की समीक्षा करने हेतु " पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" Dedicated Commission अधिसूचित है। पात्रता की समीक्षा करने हेतु आयोग द्वारा उपायुक्त के माध्यम से प्रपत्र 01 से 05 में सभी जिलों के नगर निकाय क्षेत्रों का डोर-टू- डोर सर्वे कराया गया है। एजेंसी के माध्यम से रिपोर्ट का अध्ययन कर आयोग के मार्गदर्शन में समग्र रिपोर्ट तैयार करने हेतु संस्थान का चयन किया जाना है।

(ii) कार्य क्षेत्र :-

1. चयनित एजेन्सी जिलों से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट प्रपत्र 01 से 05 का गहन अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी।
2. मध्य प्रदेश द्वारा ट्रिपल टेस्ट के अन्तर्गत समर्पित रिपोर्ट का अध्ययन कर झारखण्ड राज्य के लिए रिपोर्ट की पृष्ठभूमि तैयार की जायेगी। चयनित एजेन्सी को मध्य प्रदेश राज्य ट्रिपल टेस्ट के अन्तर्गत समर्पित रिपोर्ट की प्रति आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
3. कार्यादेश निर्गत के 45 दिनों के अन्दर चयनित संस्थान द्वारा ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर आयोग को समर्पित किया जायेगा। आयोग द्वारा ड्राफ्ट रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन के पश्चात अंतिम रिपोर्ट आयोग को समर्पित करना होगा।

(iii) योग्यता :-

1. निविदादाता को झारखण्ड राज्य में सरकारी/अर्धसरकारी विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
2. निविदादाता का विगत 5 (पाँच) वर्षों के अन्तर्गत सरकारी स्तर पर किसी भी क्षेत्र में अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने का अनुभव होना चाहिए।
3. Black Listed संस्था के द्वारा निविदा नहीं भरा जायेगा।

(iv) अग्रधन राशि :-

निविदादाता को अग्रधन के रूप में 50,000 (पचास हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट Member Secretary, State Commission for Backward Class, Jharkhand Ranchi के नाम से जमा करना होगा। असफल निविदादाता को अग्रधन 10 दिनों के अन्दर वापस कर दी जायेगी। सफल निविदादाता का अग्रधन कार्य समाप्त होने के बाद वापस की जायेगी।

(v) निविदा जमा करना :-

इच्छुक निविदादाता को तकनीकी एवं वित्तीय बीड दो अलग-अलग लिफाफा में सीलबंद कर एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर आयोग कार्यालय में जमा करना होगा। अंतिम निर्धारित तिथि दिनांक 01.07.2025 को अपराह्न 05:00 बजे के बाद निविदा स्वीकार नहीं होगी। तकनीकी निविदा में जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज की सूची निम्नवत है :-

1. निविदादाता का पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. निविदादाता का PAN/TAN की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
3. निविदादाता का GSTIN की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
4. अनुभव प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
5. Black Listed नहीं होने का स्वघोषणा पत्र।
6. इस इच्छा की अभिव्यक्ति की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

(vi) चयन प्रक्रिया :-

आयोग में गठित समिति द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदादाता के प्रतिनिधि के समक्ष तकनीकी निविदा में प्राप्त दस्तावेजों की जाँच कर सफल आवेदकों को घोषणा की जायेगी।

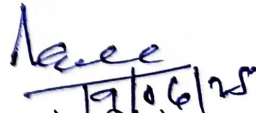
(vii) वित्तीय बीड :-

तकनीकी बीड (कार्य अनुभव एवं कार्य करने का तरीका (Methodology)) में सफल निविदादाता का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय सफल निविदादाता के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। वित्तीय बीड में न्यूनतम बीड वाले निविदादाता को (L-1) घोषित किया जाएगा। वित्तीय बीड में (L-1) निविदादाता के साथ दर वार्ता भी की जा सकती है।

(viii) कार्यादेश :-

अंतिम रूप में सफल संस्थान को आयोग द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

नोट :- संस्था की चयन प्रक्रिया किसी भी समय रद्द करने की शक्ति आयोग के पास रहेगी।


(के० के० सिंह)
सदस्य सचिव।